"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2006—पौष 30, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक ई-7/36/2004/1/2.—श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा. तथा अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 24-12-2005 से 31-12-2005 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01-01-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साहू, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ. जा. तथा अनु. जा. विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री साहू, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1174/सी-2037/05/स्था/चार.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का संख्यांक 2) की धारा 45-न की उपधारा (1) तथा धारा 58-ङ की उपधारा एक के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त पुलिस अधीक्षक, समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा सहायक पुलिस महानिरीक्षकों (राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) को उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत करती है.

Raipur, the 8th December 2005

No. 1174/C-2037/05/Estt/4.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 45-T and of the proviso to sub section (1) of section 58-E of the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934) the State Government hereby authorises all Superintendent of Police, all Additional Superintendent of Police and Assistant Inspectors General of Police (State Bureau of Investigation, Economic Offences) for the purpose of the said provisions.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 6/156/2005/वा.क./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2003 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित उम्मीदवारों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक दो वर्ष की

परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में दर्शाये जिले में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन प्राप्त करेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	श्री विजय सेन शर्मा, आत्मज पी. सी. सेन शर्मा, गली नं.-2, बसेरा कालोनी, भारतीय नगर, बिलासपुर (छ.ग.)	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, धमतरी वृत्त, जिला-धमतरी (छ.ग.)
2.	2	सुश्री सोनल खण्डुजा, आत्मजा राजेन्द्र खण्डुजा द्वारा - डॉ. संजीव खण्डुजा, गांधी चौक, बिलासपुर (छ.ग.)	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-4, जिला-रायपुर (छ.ग.)
3.	3	सुश्री सोनिया नायक, आत्मजा जयभगवान नायक द्वारा - टुटेजा ट्यूटोरियल्स, पंजाबी कॉलोनी, दयालबंद, बिलासपुर (छ.ग.)	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोरबा वृत्त, जिला-कोरबा (छ.ग.)
4.	4	श्री गोपाल वर्मा, आत्मज एम. आर. वर्मा, ग्राम व पोस्ट-भैंसा, व्हाया-हतबंद, जिला-रायपुर (छ.ग.)	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-2, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
5.	5	सुश्री राखी गोयल, आत्मजा स्व. बजरंग गोयल, प्रगति इंटरप्राइजेज, स्टेट बैंक के पास, रायगढ़ (छ.ग.)	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-1, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
6.	6	श्री छतराम महिलांगे, आत्मज गोवर्धन महिलांगे ग्राम व पोस्ट-फरसवानी, तहसील व थाना-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-1, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
7.	7	श्री अजय कुमार देवांगन, आत्मज केदार नाथ देवांगन, उत्तर चक्रधर नगर, कसेर पारा रायगढ़ (छ.ग.)	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5, जिला-रायपुर (छ.ग.)
8.	8	श्रीमती याचना ताम्ब्रे, पत्नि श्री जयशंकर ताम्ब्रे, सड़क नं.-साऊथ एवेन्यू, क्वार्टर नं. 6-बी, नंदिनी नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-2, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
9.	9	सुश्री भावना नेताम, आत्मजा डॉ. आनन्द नेताम, डाक बंगला वार्ड, धमतरी (छ.ग.)	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-1, जिला-रायपुर (छ.ग.)

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाले परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावाधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर अथवा सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो उसकी सेवाएं परिवीक्षावधि के अंत में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

5. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ विक्रय कर सेवा 1 तथा 2 भरती नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत शासित होंगे.

6. उपरोक्त अभ्यार्थियों की नियुक्ति "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यार्थीगण जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगे. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यार्थी के सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

7. उपरोक्त अभ्यार्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष जाति, मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यार्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारुप में एक बॉण्ड शासन के हित में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

9. चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

10. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ 20-26/2005/11/(6).—राज्य शासन द्वारा राज्य में स्थापित लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बेहतर कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने तथा राज्य के समग्र विकास में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिये प्रतिवर्ष राज्य के चयनित उद्योगों को सम्मानित करने के लिए, निम्नानुसार प्रक्रिया/नियम बनाये जाते हैं:—

1. **नाम :—**

(1) इन नियमों का नाम "छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग पुरस्कार नियम" है.

(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा :—**

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो "लघु उद्योग" से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी लघु उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आती हों तथा संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र धारित करती हों.

(ब). "राज्य स्तरीय समिति" से तात्पर्य राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति से है.

3. **सम्मान का स्वरूप :—**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग पुरस्कार योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष लघु उद्योगों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाना प्रस्तावित है. प्रथम पुरस्कार की राशि रु. 51,000/-, द्वितीय पुरस्कार की राशि रु. 31,000/- एवं तृतीय पुरस्कार की राशि रु. 21,000/- होगी. नगद धनराशि के रूप में पुरस्कारों के साथ इकाईयों को प्रशस्ति-पत्र भी दिया जायेगा.

4. **राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति निम्नानुसार होगी :—**

(1)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
(3)	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर के आंचलिक कार्यालय के प्रमुख	सदस्य
(4)	प्रबंध संचालक, सी. एस. आई. डी. सी. रायपुर	सदस्य
(5)	निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, रायपुर	सदस्य
(6)	छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ के प्रतिनिधि	सदस्य
(7)	छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के प्रतिनिधि	सदस्य
(8)	लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि	सदस्य
(9)	उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, रायपुर	सदस्य सचिव

5. चयन के मानदण्ड :—

	मानदण्ड	भारिता
(1)	उत्पादन क्षमता एवं वार्षिक उत्पादन का अनुपात	20 प्रतिशत
(2)	निवेश पर लाभ का प्रतिशत	10 प्रतिशत
(3)	उच्च प्रौद्योगिकी प्रयोग एवं यंत्र संयंत्र रखरखाव	15 प्रतिशत
(4)	गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पाद विकास	15 प्रतिशत
(5)	निर्यात और आयात स्थानापन्न	10 प्रतिशत
(6)	उद्यम का प्रबंधन	10 प्रतिशत
(7)	कर्मचारी कल्याण	10 प्रतिशत
(8)	स्थानीय/भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों को रोजगार	10 प्रतिशत

उपर्युक्त के अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति के उद्यमियों को 10 प्रतिशत भारिता दी जावेगी.

6. चयन प्रक्रिया :—

(1) उद्योग संचालनालय द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रतिवर्ष पुरस्कार हेतु दिनांक 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे. उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक द्वारा अपरिहार्य स्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकेगा.

(2) पुरस्कार हेतु लघु उद्योगों द्वारा संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन आवश्यक सहपत्रों सहित दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा, जिसकी एक प्रति आवश्यक जांच पश्चात् जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अभिमत सहित उद्योग संचालनालय को प्रेषित की जावेगी. उद्योग संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन-पत्र राज्य स्तरीय समिति के समक्ष पुरस्कार हेतु चयन के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे. यह समिति प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु, लघु उद्योगों का चयन करेगी. समिति यदि आवश्यक समझे तो किसी आवेदक से या उसके संबंध में किसी अन्य स्रोत से अतिरिक्त जानकारी/पुष्टि प्राप्त कर सकेगी.

7. पुरस्कार की घोषणा :—

राज्य स्तरीय समिति, चयनित, लघु उद्योगों का नाम, उद्योग संचालनालय के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगी. प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत चयनित उद्योगों की घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग करेगा.

8. पुरस्कार समारोह :—

पुरस्कार हेतु एक समारोह का आयोजन किया जावेगा जिसमें चयनित उद्योग के मालिक/भागीदार/प्रतिनिधि आमंत्रित किये जावेंगे. मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति-पत्र दियां जावेगा. समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जावेगी.

9. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रभारी सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी. ऐसे विषय जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रभारी सचिव को होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राह्मणे, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 5-17/खाद्य/2003/29.—छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश क्रमांक 602/11-2-16/01/गोपनीय/2005, दिनांक 4 अक्टूबर, 2005 के अनुक्रम में विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 20-10-2005 द्वारा उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग को सौंपी गई है, जिसके अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा उनके नाम के समक्ष अंकित कालम 3 में दर्शाये गये जिले में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के पद पर पदस्थ करता है:—

क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	पदस्थापना जिला (3)
1.	श्री राजेन्द्र चन्द्र सिंह सामन्त, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रायपुर
2.	श्री दिनेश कुमार तिवारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जिला स्था.) छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एन. जोशी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 1-8/खाद्य/2004/29.—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2004 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के संचालक मण्डल में मनोनीत अशासकीय सदस्य मान. श्री बद्रीधर दीवान के स्थान पर मान. श्री दयालदास बघेल, विधायक, मारो को संचालक के रूप में मनोनयन करता है.

2. शेष अशासकीय संचालक पूर्वानुसार ही रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 1-25/2004/13/1.—श्री आर. सी. श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता (वि.सु.) एवं कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक, कार्यालय-सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक उपसंभाग, जगदलपुर को सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में पदोन्नत किया जाकर कार्यालय सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक उपसंभाग, बिलासपुर में पदस्थ किया जाता है.

2. इस विभाग के आदेश क्रमांक 408/आर-482/ऊर्जा/03, दिनांक 1-10-2003 के द्वारा श्री एम. एम. खरवार, उप अभियंता, कार्यालय-मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ.ग. रायपुर की सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में की गई तदर्थ पदोन्नति के पश्चात् उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित किया जाकर कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग-रायपुर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 1-28/2004/13/1.—श्री एच. एस. चंदेल, सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उप-संभाग बिलासपुर को कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 10000-325-15200 में पदोन्नत किया जाकर कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग रायपुर में पदस्थ किया जाता है.

2. श्री जे. बी. सिंह, कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक संभागीय कार्यालय रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छ. ग. रायपुर में रिक्त कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2006

क्रमांक 75/उवि/13/वि.अधि./ग्रा.क्षेत्र/06.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) की धारा-14 के उपबंध-8 व सहपठित धारा 6 के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य के 11 जिलों यथा बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कवर्धा, रायपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, जशपुर, कोरिया, सरगुजा के अंतर्गत निम्न तालिका में दर्शाये गये विकास खण्डों के अंतर्गत गठित पंचायतों के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों को उक्त केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-14 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र अधिसूचित करती है.

2. राज्य के ग्यारह जिलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के चिन्हांकन हेतु चयनित विकास खण्डों को दर्शाने वाली तालिका :—

क्र.	जिले का नाम	जिले के अंतर्गत चयनित विकास खण्डों के नाम	विद्युत सेवा हेतु छराविमं के प्रशासकीय संभाग का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बस्तर-जगदलपुर	दरभा, ओरछा, माकड़ी, बड़ेराजपुर	संचा. संधारण संभाग जगदलपुर
2.	कांकेर	दुर्गकोंदल, कोयलीबेड़ा	संचा. संधारण संभाग कांकेर
3.	दंतेवाड़ा	भैरमगढ़, उसुर, भोपालपट्टनम, कटेकल्याण, छिंदगढ़	संचा. संधारण संभाग दंतेवाड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	राजनांदगांव	मोहला, मानपुर,	संचा. संधारण संभाग डोंगरगढ़
5.	कवर्धा	बोडला, सहसपुर लोहारा, पंडरिया	संचा. संधारण संभाग कवर्धा
6.	रायपुर	गरियाबंद, मैनपुर, छूरा, बिलाईगढ़, देवभोग.	संचा. संधारण संभाग नवापारा राजिम
7.	जांजगीर-चांपा	पामगढ़	संचा. संधारण संभाग चाम्पा
8.	कोरबा	करतला	संचा. संधारण संभाग कोरबा
9.	जशपुर	मनोरा	संचा. संधारण संभाग पत्थलगांव
10.	कोरिया	सोनहत व भरतपुर	संचा. संधारण संभाग मनेन्द्रगढ़
11.	सरगुजा	शंकरगढ़, कुसमी, ओडगी	संचा. संधारण संभाग अंबिकापुर

3. उपरोक्त तालिका में सम्मिलित जिलों/विकास खण्डों की सूची में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित है तथा यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2005

क्रमांक 9083/157/व्ही. आई. पी./25-2/आजावि/05.—राज्य शासन द्वारा श्री साजिद मेमन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वक्फ बोर्ड, छत्तीसगढ़ की सेवायें तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग को वापस की जाती है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2006

क्रमांक 89/157/व्ही. आई. पी./25-2/आजावि/06.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री फिरोज खान, सहायक संचालक रेशम, जिला रेशम कार्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान दायित्व के साथ छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. एस. बेंले, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 7-15/2005/12.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम बाघमारा, जिला रायपुर के अक्षांश 21° 26' 16'' से 21° 26' 45'' उत्तर एवं देशांश 82° 34' 46'' से 82° 36' 00'' पूर्व के मध्य का समस्त क्षेत्र जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपोशीट क्रमांक 64 के/11 में स्थित है, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वर्ण धातु खनिज के पूर्वेक्षण हेतु अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक 85/श्रम/2006.— कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का संख्यांक 63) की धारा 8 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को उपांतरित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गए अधिकारियों को मुख्य कारखाना निरीक्षक की सहायता करने हेतु, उन्हें अपनी-अपनी प्रशासनिक अधिकारिता में उक्त सारणी के कालम (5) में विनिर्दिष्ट मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का पदाभिधान (2)	नियुक्ति का प्रकार (3)	कार्य सीमा (4)	मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियां (5)
1.	उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक.	संपूर्ण राज्य के लिए.	छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 7, 9, 10 तथा 12 के अधीन समस्त कारखानों की अनुज्ञप्ति का क्रमशः नवीनीकरण, संशोधन या हस्तांतरण करना, जिसमें वे स्थान भी सम्मिलित हैं जिन्हें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अंतर्गत कारखाना घोषित किया गया है.

Raipur, the 16 January 2006

No. 85/Labour/2006.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2-A) of section 8 of the factories Act. 1948 (No. LXIII of 1948) and in supersession of all previous notifications issued in the respect, the State Govt. hereby appoint the officers as specified in column (2) of the table below as Dy. Chief Inspector of Factories to assist the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of Chief Inspector of Factories as Specified in column (5) of the said table in their respective administrative jurisdiction, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Designation of officers (2)	Nature of Appointment (3)	Area of Jurisdiction (4)	Power of Chief Inspector of Factories (5)
1.	Dy. Director Industrial Health & Safety.	Dy. Chief Inspector of Factories.	Whole of Chhattisgarh State.	Rule 7, 9, 10 & 12 of Chhattisgarh Factories rule 1962 for renewal, amendment and transfer of license of all factories includes those establishment which are declared factories under section 85 of Factories Act, 1948.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. के. कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक/785/अ.वि.अ./भू-अर्जन/12 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	घुंचापाली कला प.ह.नं. 118/65	3.19	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ.ग.)	चण्डी डोंगरी जलाशय के शाखा क्र. 1 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक/786/अ.वि.अ./भू-अर्जन/13 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	धरमपुर प.ह.नं. 116	3.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ.ग.)	धरमपुर जलाशय के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक/01/अ.वि.अ./भू-अर्जन/10 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	जुनवानी खुर्द प.ह.नं. 118/65	17.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ.ग.)	नवाडीह जलाशय के नहर निर्माण एवं डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 6 जनवरी 2006

क्रमांक/04/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	खुरसीपहार प.ह.नं. 40	0.11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर	सिरको नवांगांव मार्ग पर सुरंगी नाला सेतु पंहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक/क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 1 अ-82/179 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	पवनी प. ह. नं. 83	0.124	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	तर्रा पवनी पहुंच मार्ग के कि.मी. 4/10 पर निर्माणाधीन कोल्हान नाला सेतु के पहुंच मार्ग हेतु अर्जित की जा रही भूमि अर्जन.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक/क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र. कृ. 2 अ-82/180 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तर्रा प. ह. नं. 82	0.321	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	तर्रा पवनी पहुंच मार्ग के कि.मी. 4/10 पर निर्माणाधीन कोल्हान नाला सेतु के पहुंच मार्ग हेतु अर्जित की जा रही भूमि अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 3 दिसम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/26/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बनियागांव, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.994 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179	0.81
230	0.049
254	0.113
79	0.057
80	0.004
184/1	0.013
185	0.024
228	0.012
237	0.008
186	0.028
182	0.028
180	0.024
229/1	0.065
229/2	0.061
220/1	0.008
220/3	0.109
239	0.193

(1)	(2)
238	0.024
226	0.024
253	0.069
योग	0.994

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तारापुर जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 3 दिसम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/29/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छुरावण्ड, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
145	1.20
योग	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- कोसारटेडा जलाशय परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.). भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 5 जनवरी 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/19/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़नपाल, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.465 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
482	0.034
485	0.077
453	0.110
452	0.026
451	0.016
447	0.034
	0.297 माइनर नं. 1
373	0.089
374	0.008
367	0.012
366	0.052
365	0.058
342	0.017
	0.236 माइनर नं. 2
512	0.010
511	0.068
	0.078 सब माइनर नं. 1
373	0.114
376	0.010
387	0.112
379	0.080
292	0.170
227	0.098
217	0.096

(1)	(2)
216	0.010
215	0.058
209	0.106
	0.854 सब माइनर नं. 2
योग	1.465

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम - कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुंगलीपाली, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.792 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57/1	0.016
58/1	0.023
58/2क	0.026
58/2 घ	0.052
55	0.121
66	0.023
54/1	0.029
69/1	0.030
69/2	0.029
69/3	0.018
68/1	0.012
68/2	0.037
70	0.043
71/1	0.014
77	0.010
73/1	0.025
74/ज	0.018
74/ह	0.024
74/4	0.014
72/ख	0.013
72/1घ	0.081
78, 79/1क	0.031
78, 79/1ख	0.062
80/1	0.008
37/1	0.087
37/2	0.088
35/1	0.051
35/2	0.004
36/1	0.009
36/2	0.029
34/1	0.060
34/2	0.058
34/3	0.007
33/1, 308/1	0.046
308/2	0.016
305	0.013
310	0.043
311/3	0.045
311/2	0.056
312	0.001
309	0.105
317/4	0.056
318	0.097
316	0.089

(1)	(2)
317/5	0.053
319/2	0.097
319/3	0.166
328/1, 328/2	0.284
328/3	0.032
328/4	0.040
329/1	0.021
331/1, 331, 332, 333/2	0.146
330/1, 331/332, 333/3	0.064
333	0.093
333/3	0.166
330, 331, 332, 333/4	0.113
योग 56	1.792

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झोरझोरा जलाशय का नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-गोबरसिंहा, प. ह. नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.379 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
604	0.017
599, 600	0.028
596/3	0.007
597/1, 597/2, 597/3	0.015
598/2	0.016
633/1	0.005
633/2	0.046
632/1	0.047
631/1	0.032
631/2	0.027
631/3	0.009
629	0.047
630/1	0.003
630/2	0.020
630/3	0.024
658	0.020
661/2	0.022
योग 17	0.379

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झोरझोरा जलाशय का नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/1 अ/82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
378	0.053
योग	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खम्हरिया से चिचौली मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 7/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्दरी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.346 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1521/1	0.028
1522	0.012
1547/1	0.020
1549	0.024
1547/2	0.032
1550	0.045
1546	0.016
1562/1	0.016
1539	0.129
1537/1	0.024
योग	0.346

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- परसाडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 8/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कचन्दा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.368 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1345/1	0.020

(1)	(2)
1346	0.008
2043	0.028
2045/2, 2046/2	0.012
2086	0.004
2084/10, 2172/10	0.012
2187	0.032
2288, 2289, 2298,	0.024
2364/4	0.012
2369/2	0.024
2364/1	0.032
2363	0.032
999	0.024
1054/1	0.030
1068/1, 2, 3, 1069/2, 1070/6	0.012
997	0.010
994	0.008
1001/3	0.004
1055	0.040
योग 19	0.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कचन्दा माइनर 6 एल. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 9/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गाड़ामोर, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.289 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189/3	0.028
213	0.012
214	0.004
252/1	0.008
256/2	0.016
262/1	0.004
267	0.004
263/2	0.008
266/2	0.020
343/2	0.008
318/6	0.012
318/4	0.016
318/3	0.020
318/1	0.004
313	0.016
339/2	0.004
369/1	0.004
595/1 ख	0.004
603	0.036
601/1	0.020
601/3	0.020
605/3	0.021
योग	0.289

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरदुली शाखा वितरक (गाड़ामोर माइनर)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 10/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बोईरडीह, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.192 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
688/1 ग	0.008
691/1	0.004
274	0.020
271	0.004
223/4	0.008
290	0.004
233	0.004
296/2	0.016
307/3	0.004
325/1	0.020
322/1	0.012
247	0.004
245	0.020
224	0.012
216	0.012
217	0.008
214	0.016
287/2	0.008
223/3	0.008
योग	0.192

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ब्रांच माइ. 2 एल.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 11/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-तुषार, प.ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.189 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
407/2	0.004
405	0.008
404/1, 404/2	0.012
636	0.024
629/2	0.020
626/4	0.032
612/4	0.024
628	0.020
612/7	0.045
योग	0.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गाड़ामोर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 12/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बेलादुला, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.249 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
759/2	0.008
759/5	0.002
759/1	0.032
770	0.033
769/1	0.019
767	0.020
781	0.008
236	0.057
237	0.008
768/1	0.020
759/7	0.038
870	0.004
योग	0.249

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- माइनर 1 एल आफ 2 आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 13/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-बड़ेकटेकोनी, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.165 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
150/1	0.109
152/1	0.020
49/2	0.036
योग	0.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कांसा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 14/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेसीपत, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
117	0.040
165/5, 140/18	0.008
योग	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पिहरीद माइ.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 15/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
295/13	0.061
296/1	0.028
292/1	0.020
295/7	0.053
295/5	0.020
298/1	0.016
319/2	0.057
294/4	0.020
योग	0.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरपाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 16/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सकर्रा, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.132 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
885/1	0.008
881/1	0.004
1473/1	0.012
1470	0.016

(1)	(2)
1198/1, 2	0.040
1262/6	0.008
1260/3	0.020
1340/4	0.024
योग	0.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कटारी मा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 17/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-भुतहा, प. ह. नं. 04
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.144 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
437/2	0.012
438/2	0.020
430	0.072
318/1, 418	0.040
योग	0.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भुतहा सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 18/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.069 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
673/2	0.012
467/1	0.081
739/1	0.142
737/3	0.072
672/11	0.016
672/12	0.040
648	0.028
731/1	0.016
672/15	0.016
739/2	0.120
656/1	0.085
658/7	0.012
673/1	0.020
656/2	0.130

(1)	(2)
655/1	0.049
655/2	0.032
762/7	0.004
762/12	0.004
660/2	0.008
660/1	0.020
771/2	0.020
732/1	0.142
योग	1.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रबेली उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 19/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सकर्री, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.120 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
358/9	0.012
358/12	0.008
358/15	0.012
144/4	0.016
374/2	0.024
150/1	0.020
370/3, 4	0.012
366	0.004
365	0.004
364	0.008
योग	0.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कटारी मा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 20/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
330/13	0.024
310/4	0.097
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लिमगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 21/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बरभांठा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.486 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
203/1	0.081
83/3	0.061
145	0.008
199/3	0.045
200/6	0.012
200/5	0.012
224/2	0.036
221/2	0.065
209	0.065
206	0.028
205/3	0.073
योग	0.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भातमाहुल माइनर/सब मा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 22/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.742 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435/1	0.016
400/9	0.101
424/5	0.016
587/4	0.068
587/2	0.016
587/6	0.044
588/1	0.036
424/6	0.044
553	0.032
574/1	0.040
573/2	0.032
566/2	0.024
434	0.028
424/25	0.032
567/1	0.016
430/2	0.064
425	0.020
389/2	0.081

(1)	(2)
555	0.40
योग	0.742

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरपाली मा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 23/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कलमी, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.891 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
463/2	0.061
453/4	0.222
456	0.052
475/5, 483/1	0.032
460	0.028
494	0.141
453/10	0.040
453/38	0.016
731	0.202
181, 180/2	0.097
योग	0.891

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुरदा वित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक 29/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सतगढ़, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.169 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
283/1	0.036
284, 291/1	0.036
283/2	0.036
285	0.061
योग	0.169

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पिहरीद माइनर नहर. (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक 30/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुधरी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.141 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
387/1, 2	0.040
209/2, 217	0.101
योग	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुधरी माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जाजंगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक 31/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मंद्रागोढ़ी, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.654 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.024
15	0.040
14	0.024
17	0.061
21	0.061
20	0.202
109	0.049
114	0.117
132	0.109
115	0.004
107	0.146
106	0.097
99	0.061
98	0.012
97	0.170
96	0.206
239	0.097
243	0.053
244	0.040
133	0.081
योग	1.654

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भालूडेरा माइ. नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक 32/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.570 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
461/1, 2, 3	0.008
464/1	0.182
464/2	0.117
465	0.053
466	0.004
467/1, 2	0.040
468	0.065
475/1, 2	0.036
476/1, 2	0.065
योग	0.570

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ढोलनार माइनर नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक 33/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझीटी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
52/2 ख	0.022
39	0.024
40	0.032
41/1	0.016
42/2	0.032
44/1	0.012
44/2	0.004
44/3	0.004
45	0.004
26/1 द	0.028
26/1 ड	0.016
26/1 छ	0.036
योग	0.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोइरडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर- चाम्पा, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक 34/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गलगलाडीह, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.324 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
314/2	0.004
318	0.014
256	0.036
666	0.018
261	0.032
259	0.024
229	0.016
193	0.010
208	0.020
175	0.010
214/6, 214/7	0.004
174	0.016
173/2	0.036
213	0.020
565	0.012
615	0.004
564	0.004
611/1	0.032
570/1	0.012
योग	0.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गलगलाडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जाजंगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक 35/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पिसौद, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.169 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83/2	0.020
83/5	0.032
77/1, 77/4, 77/12	0.008
475	0.004
470, 472	0.004
486	0.004
543/1	0.024
527	0.008
545	0.008

(1)	(2)
547	0.004
548	0.004
216	0.049
योग	0.169

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भनेतरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक 43/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ठुठी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.221 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
654/1	0.101
570/10	0.004
570/11	0.004
570/12	0.008
576/1	0.012
576/2	0.016
276/2	0.020
200	0.024
209/1	0.032
योग 9	0.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ठुठी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH BILASPUR (C. G.)

Bilaspur, the 3rd January 2006

No. SBC/CG/957 :— **Summerised Consolidated Financial Statement**

Income and expenditure Account for the Financial Year Ending 31-3-2004

Expenditure (1)	Amount (2)	Amount (3)	Income (4)	Amount (5)	Amount (6)
To Administrative Exps.	1287726	1287726	By Receipts-General A/C Various Fees	1491940	1491940
To Death Claim	445000.00	445000.00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
To Depreciation of Assets	19498.00	19498.00	By Family Benefit Fund-Fee.	1815.00	1815.00
To Surplus Account Excess of Income over Exps.	2634764.63	2634764.63	By Advocate Welfare Fees.	516480.00	516480.00
			By Bank Interest	88615.63	88615.63
			By Adhivakta Kalyan Nidhi Fee.	921800	921800
			By Adhivakta Kalyan Nidhi Stamp A/C	1366338.00	1366338.00
	4386988.63	4386988.63		4386988.63	4386988.63

CERTIFICATE
Certified that the above statement is true and correct

For and onbehalf of
State Bar Council of Chhattisgarh-Bilaspur

Sd/- Accountants   Sd/- Secretary   Sd/- President

Place : Bilaspur (C.G.)
Date : 21-7-2004

CERTIFICATE
Subject to our report of even date attached.

For, M/s G.M. Gupta & Company
Chartered Accountants

Sd/-
(G.M. Gupta. M. Com., FCA, DISA)
Propritor

SUMMARISED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2004

Funds & Liabilities (1)	Amount (2)	Amount (3)	Property & Assets (4)	Amount (5)	Amount (6)
General Fund B/F	6273704.37		**Fixed Assets**		
ADD : Surplus For The Year.	2634764.63	8908469.00	Computer System	53442.00	
			Furniture & Fixture	96376.00	
			Air Conditioner	25666.00	175484.00
Amal gamated Fund B/F	1053500.00				
ADD : Received During The Yr.	538500.00	1592000.00			
			Current Assets		
			Fixed Deposit B/F	8100000.00	
Current Assets			State Bar Council of M.P. (Receivable)	43105.00	
Bar Council of India-New Delhi.		129120.00	Security Deposit-SBC of C.G.	1240.00	
Seminar Account			Advance for Election	400000.00	
Recd. From Bar Council of India-New Delhi.		100000.00	Provident Funt Excess Deposit.	3.00	8544348.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Cash & Bank Balance		
			Bank Balance	2103890.00	
Election Deposit B/F		105000.00	Cash Balance	10867.00	2114757.00
Total		**10834589.00**	**Total**		**10834589.00**

CERTIFICATE
Certified that the above statement is true and correct

For and onbehalf of
State Bar Council of Chhattisgarh-Bilaspur

Sd/- Accountants   Sd/- Secretary   Sd/- President

CERTIFICATE
Subject to our report of even date attached.

For, M/s G.M. Gupta & Company
Chartered Accountants

Sd/-
(G.M. Gupta, M. Com., FCA, DISA)
Propritor

Place : Bilaspur (C.G.)
Date : 21-7-2004

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्र. 9718/नग्रानि/विधि/एल.यू. 20/05.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि महासमुंद निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति जिलाध्यक्ष कार्यालय, महासमुन्द, मुख्य नगर पालिका परिषद्, महासमुंद एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के कार्यालयों में दिनांक 23-11-2005 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, महासमुंद निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

महासमुंद निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. **उत्तर :—** बेमचा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

2. **दक्षिण :—** ग्राम परसकोल, खैरा एवं लभराखुर्द की दक्षिणी सीमा तक.

3. **पूर्व :—** ग्राम तुमाडबरी तथा पतेरापाली की पूर्वी सीमा तक.

4. **पश्चिम :—** ग्राम मचेवा तथा खरोरा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर, लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर, जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

Raipur, the 22nd November 2005

No. 9718/T&CP/Leg./LU.20/05.—Notice is hereby given for public information that the existing land use maps and register for the Mahasamund planning Area are prepared under Sub-section (1) of Section 15 of Chhattiasgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of maps and register are available for inspection w.e.f. 23-11-2005 in the Office of the Collector Mahasamund, Office of the Chief Municipal Officer, Municipal Council, Mahasamund and Office of the Joint Director, Town & Country Planning, Division Office Raipur (C.G.)

SCHEDULE

The Limites of the planning Area of Mahasamund is given bellow :—

1. **North :-** Village Kharora, Bemcha and upto the Northern limit of Tumadabari village.

2. **West :-** Village Tumadabari, Paterapali and upto the western limit of Labhra Khurd village.

3. **South :-** Village Labhra Khurd, Khaira, Paraskol and upto the Southern limit of Macheva village.

4. **East :-** Village Machava and upto the eastern limit of Kharora village.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use maps so prepared. It should be sent in writting to the undersigned or the venue place within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette."

Any objection or suggestion which will be received from any person with respect to the said existing land use maps during the above period specified will be considered by Director Town & Country planning.

व्ही. पी. मालवीय,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 28 नवम्बर 2005

क्र. 11591/मा. चि./05.—गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग में लायी जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्ठी में जलाकर उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर उत्खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्रमांक	पूर्व पट्टेदारों का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा एकड़ में	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
1.	रितेश कुमार गांधी आ. स्व. श्री सुरेश चन्द गांधी, निवासी उदयाचल रोड, राजनांदगांव.	घोरदा	डोंगरगांव	387 का भाग	4.25	चूनापत्थर	निजी भूमि	पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण.
2.	श्री अशोक कुमार बडकुल आ. श्री रतन चन्द्रजी पदमनाभपुर, दुर्ग जिला- दुर्ग	मुड़हीपार	राजनांदगांव	204	4.10	चूनापत्थर	शासकीय भूमि	उत्खनि पट्टा का समर्पण स्वीकार होने के कारण.

टीप :- वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना.

जी. एस. मिश्रा,
कलेक्टर.